रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2000/चैत्र 4, 1922
No. 188] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2000/CHAITRA 4, 1922

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2000

का.आ. 273(अ).—भारत में ऐसे कतिपय कीटनाशियों के जिनके उपयोग पर अन्य देशों में या तो पाबंदी लगा दी गई थी या जिन्हें निर्बन्धित कर दिया गया था क्योंकि उनके उपयोग में मनुष्यों के या पशुओं के स्वास्थ्य की जोखिम अंतर्वलित थी, निरंतर उपयोग की समीक्षा करने की दृष्टि से प्रारूप आदेश प्रकाशित किया गया था जिनमें ऐसे व्यक्तियों के आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ;

और उक्त प्रारूप आदेश के बारे में प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने सम्यक् रूप से विचार कर लिया है ;

और केन्द्रीय सरकार ने कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् (i) मेथोमाइल 12.5% एल सूत्र योग और (ii) फोस्फेमीडान 85% एस एल के विनिर्माण और उपयोग का प्रतिषेध करने का आदेश जारी किया गया था ;

और उक्त आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(ii) में सं. का.आ. 190(अ), तारीख 26 मार्च, 1999 द्वारा प्रकाशित किया गया था ;

और कृषि और सहकारिता विभाग को आवेदन प्राप्त हुए हैं कि (i) मेथोमाइल 12.5 एल सूत्रयोग और फोस्फेमिडान 85% एस एल का स्टाक 25 मार्च, 2000 के पश्चात् भी अविक्रीत रहेगा क्योंकि इस अवधि के बाद भी उनकी एक निधानी आयु है ;

और आदेश सं. का.आ. 190(अ), तारीख 26 मार्च, 1999 के बारे में प्राप्त आवेदनों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस प्रयोजन के लिए गठित रजिस्ट्रीकरण समिति और विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, उक्त आदेश का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—

उक्त आदेश में,—

(i) मद (1) की दूसरी पंक्ति में आने वाले "और उपयोग" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) मद (1) के नीचे मद (1क) अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1क) इन कीटनाशियों का उपयोग, उनके अवसान की तारीख से या 25 मार्च, 2002 से, इनमें से जो भी पहले हो, प्रतिषिद्ध होगा।"।

[फा. सं. 17-28/94-पी पी-I]

सती नायर, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

ORDER

New Delhi, the 24th March, 2000

S.O. 273(E).—Whereas a draft order with a view to review the continued use in India of certain insecticides which were either banned or restricted for use in other countries because of involved health risks to human beings and animals was published for inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby .

And whereas, the objections and suggestions received in respect of the said draft Order had been duly considered by the Central Government ;

And whereas, the Central Government had issued an Order in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 28 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), prohibiting the manufacture and use of (i) Methomyl 12.5% L formulation, and (ii) Phosphamidon 85% SL after one year from the date of publication of the said Order ;

And whereas, the said Order was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II-Section 3(ii) vide number S.O. 190(E), dated, the 26th March, 1999 ;

And whereas, representations have been received in the Deptt. of Agriculture and Co-operation that the stocks of (i) Methomyl 12 5% L formulation and (ii) Phosphamidon 85% SL will remain unsold even after 25th March, 2000 as they have a shelf-life beyond this period ;

And whereas, the representations received in respect of Order number S.O. 190(E) dated the 26th March, 1999 have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 28 of the said Act, the Central Government, after considering the recommendations of the Registration Committee and the Expert Committee constituted for the purpose, hereby makes the following Order to amend the said Order, namely :—

In the said Order,—

(i) in item (1), the words "and use" appearing in the second line shall be omitted ;

(ii) below item (1), the following item (1A) shall be inserted, namely :—

"(1A) the use of these pesticides shall be prohibited from the date of their expiry or 25th March, 2002, whichever is earlier."

[F No 17-28/94-PP-I]

SATHI NAIR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054